संख्या-17/2026/ 357 / 001-53-2099-1357-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ., कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 जून, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना, एस0सी0पी0) अनुदान संख्या-83।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-115/ दुग्ध-5/नियो0/कृषक प्रशि0-एससीपी(299)/2026-27, दिनांक 29 मई, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्नकानुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/ टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यों/मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4) सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेंगे।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधनों से उसका वहन करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(7) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति की उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(9) दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के शुद्ध एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0 का होगा।

(10) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कर लिया जायेगा। योजनावार/जनपदवार परिव्यय प्राप्त कर लिए जायेगा। उक्त धनराशि से प्रशिक्षित कृषकों का आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर सहित सम्पूर्ण विवरण प्रशिक्षण के पश्चात् शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघो को प्रश्नगत कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्गत किश्त की धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए, इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं गत वित्तीय वर्ष की स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगित कुल धनराशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषण के पूर्व शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2404007890500 कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम **मानक मद** 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या-17/2026/ 357(1) / 001-53-2099-1357-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागरज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (ऑडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10-सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।

11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।

12 -वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3/ राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।

13 - सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

14-बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक 17 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।

15 - सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

16 - वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

17 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामबूझ

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।